[EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA, PART I—SEC. 1, dated 18th December 2010]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110011, the 29th November 2010

RESOLUTION

No. 25020/50/2010-PM. II.—The Government of India had setup the Directorate of Forensic Science (DFS) vide Resolution No. 25011/41/2001-GPA.II/PM. II dated 31.12.2002.

2. Some time ago it was felt by the Government that the Forensic Science sector in the country needed to be upgraded. So, two distinguished Forensic Scientists were appointed by the Ministry of Home Affairs to study the status of the Central Forensic Science Services available in the country as well as the challenges being faced by it and suggest ways and means to revamp and modernize the organizational structure/setup of the various Central Forensic Laboratories, Personel Policies, Training requirements, etc. The two scientists made a number of recommendations for improving the all-round competency and functioning of the Central Forensic Science Laboratories and the Forensic Science Sector.

3. After a careful consideration of the report submitted by them, some of the recommendations were accepted. These, inter-alia, include the recommendation of renaming the Directorate of Forensic Science (DFS) in order to widen the scope of the services to be provided by this sector in order to make the Criminal Justice Delivery System in the country more effective. It has, therefore, been decided that the present Directorate of Forensic Science will henceforth be known as the Directorate of Forensic Science Services (DFSS).

4. The Charter of duties of Directorate of Forensic Science Services (DFSS) laid down in the Annexure to this Resolution is in supersession of the charter of duties mentioned in the annexure to the Ministry of Home Affairs earlier Resolution No. 24011/41/2001-GPA.II/PM.II dated 31.12.2002.

GOPAL K. PILLAI
Secy.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments/Union Territory Administrations; Director General, Bureau of Police Research & Development; Director-cum-Chief Forensic Scientists; Directorate of Forensic Services; Director, Intelligence Bureau; Director, Central Bureau of Investigation; Director General, Border Security Force; Director General, Indo-Tibet Border Police; Director General, Central Industrial Security Force, Director of Coordination and Police Wireless; Director, SVP National Police Academy, Hyderabad; Director, Lok Nayak Jaiprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science, Director General, National Security Guard; Director, Special Security Bureau; Director General, National Crime Records Bureau and All Ministries/Departments of the Government of India, Registrar/Registrar General of Supreme Court and all High Courts.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. SURESH KUMAR
Jt. Secy.

ANNEXURE

CHARTER OF DUTIES OF THE DIRECTORATE OF FORENSIC SCIENCE SERVICES (DFSS), MINISTRY OF HOME AFFAIRS, GOVERNMENT OF INDIA.

- To provide high quality and on-time Forensic Science Services to the Criminal Justice Delivery System by creating capacity and capability at the Central level and providing technical and financial support and assistance to Forensic Institutions in the States and Union Territories.
- To develop new technologies and create new scientific knowledge to assist the Criminal Justice Delivery System.
- To encourage Research & Development in various areas of Forensic Science and strenghten Forensic Services by arranging and instituting financial grants and Fellowship Schemes for intramural and extramural R&D Schemes.
- To establish linkages with National and International Scientific, Technical and Forensic Institutions and Universities for cooperation through Transfer of Technology, Skill Development, Exchange of Scientific Personnel and Sharing of Information.
- To promote Quality Assurance and Quality Control in forensic testing by arranging technical and financial support for the development of Forensic Standards and uniform Standard Operating Procedures.
- To disseminate and promote knowledge in the field of application of Science and Technology by supporting/ organizing Awareness Programmes, Symposiums, Seminars, Hands on Workshops and National/ International Conferences.
- To formulate Plans and Policies to promote Capacity Building in Forensic Science in the country.
- To develop National Databases on various Forensic Indices to control recidivism, repeat crimes and strengthen Home Land Security.
- To promote excellence in Forensic Services and R&D by instituting Awards and Incentive Programmes.
- To assist and advise the Central and the State Governments in all Forensic Science matters and extend Forensic Science Assistance to manage National Disasters/Calamities.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2010

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2010

G-03 Min. of HA/2010

[भारत का राजपत्र, भाग I—खण्ड 1, दिनांक 18 दिसम्बर 2010 से उद्धरण]

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 29 नवम्बर 2010

संकल्प

सं. 25020/50/2010-पीएम-II--भारत सरकार ने दिनांक 31.12.2002 के संकल्प संख्या 25011/41/2001 जी पी ए-II/पी एम-II के तहत् विधि विज्ञान निदेशालय की स्थापना की थी।

2. कुछ समय पहले सरकार द्वारा यह महसूस किया गया कि देश में विधिविज्ञान सैक्टर का उन्नयन करने की जरूरत है। इसलिए गृह मंत्रालय ने विधिविज्ञान क्षेत्र के दो प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को देश में उपलब्ध केन्द्रीय विधिविज्ञान सेवाओं की स्थिति और इसके समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का अध्ययन करने और विभिन्न केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालाओं के संगठनात्मक ढांचे/गठन, कार्मिक नीतियों, प्रशिक्षण अपेक्षाओं आदि को चुस्त दुरुस्त बनाने और उनका आधुनिकीकरण करने के तरीकों का सुझाव देने के लिए नियुक्त किया था। इन दो वैज्ञानिकों ने केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालाओं और विधिविज्ञान सैक्टर की चहुंमुखी दक्षता एवं कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए कई सिफारिशें कीं।

3. उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् कुछ सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ, देश में दाण्डिक न्याय वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए इस सैक्टर द्वारा दी जा रही सेवाओं के दायरे में वृद्धि करने के उद्देश्य से विधिविज्ञान निदेशालय (डी एफ एस) को पुनर्नामित करने की सिफारिश शामिल है। अत: यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान विधिविज्ञान निदेशालय को एतद्पश्चात विधिविज्ञान सेवा निदेशालय (डी एफ एस एस) के नाम से जाना जाएगा।

4. गृह मंत्रालय के दिनांक 31.12.2002 के संकल्प संख्या 24011/41/2001-जी पी ए, II/पी एम-II के अनुलग्नक में उल्लिखित कर्तव्यों के चार्टर को निष्प्रभावी बनाते हुए इस संकल्प के अनुलग्नक में निर्धारित विधिविज्ञान सेवा निदेशालय (डी एफ एस एस) के कर्तव्यों का चार्टर प्रभावी होगा।

गोपाल के. पिल्लई
सचिव

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों; महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो; निदेशक-सह-मुख्य विधिविज्ञान वैज्ञानिक, विधि विज्ञान सेवा निदेशालय; निदेशक, आसूचना ब्यूरो; निदेशक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो; महा निदेशक, सीमा सुरक्षा बल; महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस; महानिदेशक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल; निदेशक समन्वय एवं पुलिस बेतार; निदेशक, सरदार बल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी; निदेशक, लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान एवं विधिविज्ञान संस्थान, महानिदेशक, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद; निदेशक, विशेष सुरक्षा ब्यूरो; महानिदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों; भारत का उच्चतम न्यायालय एवं भारत के सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार/महारजिस्ट्रार को प्रेषित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस. सुरेश कुमार
संयुक्त सचिव

अनुलग्नक

विधिविज्ञान सेवा निदेशालय (डी एफ एस एस), गृह मंत्रालय, भारत सरकार के कर्तव्यों का चार्टर

- राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में विधिविज्ञान संस्थानों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता देकर और केन्द्री स्तर पर क्षमता एवं सामर्थ्य सृजन द्वारा दाण्डिक न्याय वितरण प्रणाली को उच्च गुणवत्ता वाली एवं समय पर विधिविज्ञान सेवा प्रदान करना।
- दाण्डिक न्याय वितरण प्रणाली को सहायता देने के लिए नई प्रौद्योगिकी का विकास करना और नवीन वैज्ञानिक ज्ञान का सृजन करना।
- संस्थागत एवं बाहरी अनुसंधान एवं विकास स्कीमों के लिए वित्तीय अनुदानों एवं अध्येतावृत्ति स्कीमों की स्थापना करके और उनकी व्यवस्था करके विधिविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना और विधिविज्ञान सेवाओं को सुदृढ़ करना।
- तकनीकी अंतरण, दक्षता विकास, वैज्ञानिक कार्मिकों की अदला-बदली एवं सूचना के आदान-प्रदान के जरिए सहयोग करने के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक, तकनीकी एवं विधि-विज्ञान संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों के बीच संपर्क स्थापित करना।
- विधिविज्ञान मानदण्डों एवं एकसमान मानदण्ड वाली प्रचालन प्रक्रियाओं का विकास करने के लिए तकनीकी एवं वित्तीय सहायता की व्यवस्था करके विधिविज्ञान परीक्षण में गुणवत्ता आश्वासन एवं गुणवत्ता नियंत्रण का संवर्धन करना।
- जागरुकता कार्यक्रम, विचारगोष्ठी, संगोष्ठी, कार्यशालाएं और राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करके/आयोजन में सहायता देकर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के क्षेत्र में ज्ञान का संवर्धन एवं संवितरण करना।
- देश में विधिविज्ञान में क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नीतियां एवं योजनाएं बनाना।
- अपराधवृत्ति, अपराधों को बार-बार दोहराने पर नियंत्रण करने और गृह भूमि सुरक्षा को सुदृढ़ करने की विभिन्न विधिविज्ञान अनुक्रमणिकाओं पर राष्ट्रीय डाटाबेस विकसित करना।
- पुरस्कार एवं प्रोत्साहन कार्यक्रम स्थापित करके अनुसंधान एवं विकास तथा विधिविज्ञान सेवाओं में उत्कृष्टता का संवर्धन करना।
- केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों को विधिविज्ञान संबंधी सभी मामलों में सुझाव एवं सहायता देना तथा राष्ट्रीय आपदाओं/विपदाओं का प्रबंधन करने के लिए विधिविज्ञान संबंधी सहायता देना।